



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस : ई-नीलामी दि. 20 मार्च 2023

शाखा : बैतूल (BETUL) - पता: चर्च कंपाउंड, कोठी बाजार, जिला बैतूल (म.प्र.) 460001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है" एवं "दायित्व रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति - दाता/ जमानतदार	संपत्ति के स्वामी का नाम	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
					अग्रिम धरोहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
1	मेसर्स राठौर स्टोन क्रशर (पार्टनर 1. श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजी लाल राठौर 2. श्री अनुरंजन सिंह चौहान पिता स्व. श्री निरंजन सिंह चौहान)	श्री रमेश राठौर पिता स्व. चिरोंजी लाल राठौर	रु. 15522108.00 ब्याज + विधिक व्यय	खाली जमीन क्षेत्रफल - 3200 वर्ग फीट पता: खेडी सावलगाढ़ जिला बैतूल म.प्र. 460001 सर्वे नं./ खसरा नं. 173/5, पी सी नं. 25, बंदोबस्त नं. 132 जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है : उत्तर - जैन मंदिर की भूमि, दक्षिण - बचा हुआ प्लॉट, पूर्व - बचा हुआ प्लॉट एवं पश्चिम - बैतूल भैंसदेही रोड।	रु. 54,72,000.00 रु. 5,47,200.00 रु. 20,000.00	

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 या शाखा कार्यालय बैतूल मो. 8226003750 से संपर्क कर सकते हैं। ये संबंधित ऋणियों / प्रत्याभूति-दाता / जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 16.02.2023 स्थान: बैतूल (म.प्र.)

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी